न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 36/2021/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 8.1.2021
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

रामप्रसाद आत्मज हजारीलाल जाति गूर्जर निवासी देवपुरा बूंदी जिला बूंदी (राज0)।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बूंदी।
2. जिला कलक्टर बूंदी (राज0)।
3. प्रमुख शासन सचिव कृषि एंव चेयरमेन व प्रबन्धक निदेशक राजस्थान राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन जयपुर राज0।
4. भण्डार प्रबन्धक राज्य भण्डार गृज बूंदी राज0।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश प्रजापति अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ता 3
श्री राकेश सुवालका अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–4

:: निर्णय ::

दिनांक 22.3.2021

1 अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित आदेश संख्याः 153 दिनांक 25.9.2013 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा मे धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश की है।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम लि0 जयपुर द्वारा गोदाम हेतु भूमि आवंटन की अनुशंषा किये जाने पर तहसीलदार बूंदी द्वारा पत्र कमांक 1712 दिनांक 18.3.2013 से ग्राम कुवांरती तहसील बूंदी मे स्थित भूमि ख0 नं0 915/131 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा, ख0 नं0 1083/119 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख0 नं0 1085/123 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख0 नं0 1087/126 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा मे से 35 बीघा 1 बिस्वा, ख0 नं0 1089/130 रकबा 44 बीघा 4 बिस्वा मे से 39 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 100 बीघा किस्म चारागाह भूमि गोदाम हेतु आवंटन के प्रस्ताव तथा साथ ही ग्राम कुंवराती के ख0 नं0 68 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, ख0 नं0 214 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, ख0 नं0 596 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, ख0 नं0 900/13 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा, ख0 नं0 954/470 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा मे से 9 बिस्वा ख0 नं0 964/484 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, ख0 नं0 974/528 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ख0 नं0 1012/667 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, ख0 नं0 1046/809 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, ख0 नं0 1066/851 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा किस्म सिवायचक बंजड कुल किता 10 रकबा 100 बीघा भूमि को चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिये चारागाह मे परिवर्तन हेतु प्रस्तावित कर प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये जाने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पर जिला कलक्टर बूंदी ने शासन उप सचिव उपनिवेशन विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.19 (34)उप/2013 दिनांक 19.9.2013 से प्राप्त भूमि आवंटन स्वीकृति के अनुसरण मे ग्राम कुवारंती मे विस्थित भूमि ख0 नं0 915/131 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा, ख0 नं0 1085/123 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, मे सें 1 बीधा 14 बिस्वा, ख0 नं0 1087/126 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा मे से 35 बीघा 1 बिस्वा, ख0 नं0 1089/130 रकबा 44 बीघा 4 बिस्वा मे से 39 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 95 बीघा किस्म चारागाह भूमि राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को गोदाम हेतु अनुबन्ध/शर्तो पर लीज पर विद्यमान प्रचलित बाजार दर पर लीजरेट पर आवंटन एतद द्वारा किया गया। साथ ही ग्राम कुंवराती के ख0 नं0 ख0 नं0 68 रकबा 11 बीधा 13 बिस्वा, ख0 नं0 214 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा, ख0 नं0 596 रकबा 5 बीधा 12 बिस्वा, ख0 नं0 900/13 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा, ख0 नं0 964/484 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, ख0 नं0 974/528 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ख0 नं0 1012/667 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा, ख0 नं0 1046/809 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, मे से 21 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक बजंड कुल किता 8 रकबा 95 बीघा भूमि को चारागाह दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलाधीन आदेश की पुश्त पर अपीलांट की भूमि व आस पास का नक्शा दर्शाया गया है जिसमे उत्तर दिशा मे कृषि उपजमण्डी को आवंटित भूमि दर्शायी गई है तथा पूर्व दिशा मे आबादी दर्शायी गई है तथा दर्शाये गये नजरी नक्शे मे ख0 नं0 131/1 जो अपीलांट के खाते मे हाल तरमीम नम्बर ख0 नं0 916/131 की 8 बीघा भूमि अपीलांट के खाते की है। इस पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है रेस्पो0 उक्त आदेश की आड मे अपीलांट को अपने खाते की उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है वह यह धमकियां दे रहे है कि यह भूमि भंडार निगम को आवंटित हो चुकी है जबकि मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी किये बगैर आवंटित भूमि का सीमा ज्ञान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। वास्तविक स्थिति यह है कि कृषि उपजमण्डी को आवंटित भूमि से लगभग 40 बीघा अधिक भूमि पर कृषि उपज मण्डी ने कब्जा कर रखा है। आवंटित रकबा 95 बीघा है जबकि मौके पर काफी कम रकबा/भूमि स्थित है। इस कारण रेस्पो0 अपने पद प्रभाव व सरकारी अफसर का रूबाब दिखाकर अपीलांट को कब्जे व खाते की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अपीलाधीन आदेश की कुछ भूमि पर राजस्व मण्डल अजमेर से स्टे आर्डर चल रहा है तथा आवंटित भूमि पर ग्राम वासीयान कुवराती का काफी हिस्सा रिहायशी उपयोग आबादी मे ली जा रही है। जिसकी 48 ग्रामवासीयान द्वारा शिकायत राज्य सरकार को की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश नियमो के विपरीत व खिलाफ कानून होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो0 अपीलांट की कृषि भूमि को अकृषि मे परिवर्तित करना चाहता है जिसका उसको कोई अधिकार नही है। जेरअपील आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 16.12.2013 को होने पर जानकारी की तिथी से अपील पेश की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश जेरअपील निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया अपीलाधीन आदेश के पुश्त पर दर्शाये गये नजरी नक्शे मे ख0 नं0 131/1 जो अपीलांट के खाते मे हाल तरमीम नम्बर ख0 नं0 916/131 की 8 बीघा भूमि अपीलांट के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

खाते की है। अपीलाधीन आदेश की आड मे रेस्पों0, अपीलांट को अपने खाते की उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी किये बगैर आवंटित भूमि का सीमा ज्ञान कराये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। जबकि वास्तविकता यह है कि कृषि उपजमण्डी ने उसको आवंटित भूमि से लगभग 40 बीघा अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है। मौके पर जेरअपील आदेश से आवंटित रकबा 95 बीघा मौके पर काफी कम है। इंस कारण रेस्पो0 अपने पद प्रभाव व सरकारी अफसर का रूबाब दिखाकर अपीलांट को कब्जे व खाते की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अपीलाधीन आदेश की कुछ भूमि पर राजस्व मण्डल अजमेर से स्टे आर्डर चल रहा है तथा आवंटित भूमि पर ग्राम वासीयान कुवराती का काफी हिस्सा रिहायशी उपयोग आबादी मे ली जा रही है। जिसकी 48 ग्रामवासीयान द्वारा शिकायत राज्य सरकार को की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश नियमो के विपरीत व खिलाफ कानून होने से निरस्त होने योग्य है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पों0 क्रम 1 ता 3 ने बहस मे बताया कि आवंटित भूमि राजकीय चारागाह भूमि है। अतः अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से हितबद्ध/व्यथित पक्षकार नही होने से प्रश्नगत अपील प्रकरण पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–4 ने बहस मे बताया कि जिला कलक्टर बूंदी ने शासन उप सचिव उपनिवेशन विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.19 (34)उप/2013 दिनांक 19.9.2013 से प्राप्त भूमि आवंटन स्वीकृति के अनुसरण मे ग्राम कुवारंती मे विस्थित उक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को गोदाम हेतु अनुबन्ध/शर्तो पर लीज पर विद्यमान प्रचलित बाजार दर पर लीजरेट पर आवंटन एत्द द्वारा किया गया। आवंटित उक्त भूमि से अपीलांट प्रभावित/व्यथित पक्षकार नही है तथा ना ही प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की अनुमति के साथ अपील पेश नही किये जाने प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाने का अनुरोध किया।

7. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील पर गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू का विनिश्चय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र मे अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.12.2013 को मिलने पर आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 17.1.2014 को प्राप्त होने पर अपील की जाकर डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माने जाने का अनुरोध किया। रेस्पो0 ने अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

8. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेखो पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा शासन उप सचिव उपनिवेशन विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.19

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

(34)उप/2013 दिनांक 19.9.2013 से प्राप्त भूमि आवंटन स्वीकृति के अनुसरण मे ग्राम कुवारंती मे विस्थित उक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को गोदाम हेतु अनुबन्ध/शर्तो पर लीज पर विद्यमान प्रचलित बाजार दर पर लीजरेट पर आवंटन एतद द्वारा किया गया है। वादग्रस्त भूमि सरकारी चारागाह भूमि है जिस पर कानूनन अपीलांट को किसी प्रकार के कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। जेरअपील आदेश मे अपीलांट पक्षकार नही है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश को चेलेन्ज करने का अधिकार नही है। जेरअपील आदेश मे वर्णित वादग्रस्त भूमि किस्म चारागाह भूमि होने से अपीलांट प्रभावित/व्यथित पक्षकार नही है तथा ना ही अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की अनुमति के साथ अपील पेश नही की है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे ऐसे कोई आधार अभिलेख, साक्ष्य सबूत विद्यमान नही है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि "रेस्पोडेन्टगण जेरअपील आदेश की आड मे अपीलांट की भूमि पर कब्जा करना चाहते हो"। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 22.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/3/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा